राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 07/2015–16 **दिनांक :– 15.7.2015**

(अ) सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/भर्ती/2015–16 दिनांक 15.05.2015 के संबंध में विभाग से प्राप्त नवीन वर्गवार वर्गीकरण एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता हैः–

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)
सामान्य 281 पद	91	31	10	3	32	9	3	0	22	7	2	0	44	20	4	1	2	0	0	0
सहरिया 3 पद	3 (पुरूष)					0 (महिला)					0 (विधवा महिला)					0 (परित्यक्ता महिला)				
दण्डवत आरक्षण :– विशेष योग्यजन 7 (LD/CP) पद																				

(ब) (1) सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/भर्ती/2015–16 दिनांक 15.05.2015 के संबंध में विभाग से प्राप्त नवीन वर्गवार वर्गीकरण एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता हैः–

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
टीएसपी क्षेत्र हेतु कुल 10 पद	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) साथ ही सहायक लोक अभियोजक – द्वितीय श्रेणी हेतु जारी आयोग के विज्ञापन संख्या 02/भर्ती/2015–16 दिनांक 15.05.2015 के संबंध में कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. बिन्दु संख्या 3 आयु के अन्तर्गत वर्णित अभिव्यक्ति **''न्यूनतम् आयु 18 वर्ष''** के स्थान पर **''न्यूनतम् आयु 21 वर्ष''** पढ़ी जावे।

2. शीर्षक **'आयु सीमा में छूट'** के **प्रावधान संख्या 1** के कॉलम **''अभ्यर्थियों का वर्ग'' के** अन्तर्गत वर्णित अभिव्यक्ति को अब निम्न प्रकार पढ़ा जावे :–

''राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष''

3 शीर्षक **'आयु सीमा में छूट'** के **प्रावधान संख्या 2** के कॉलम **''अभ्यर्थियों का वर्ग'' के** अन्तर्गत वर्णित अभिव्यक्ति को अब निम्न प्रकार पढ़ा जावे :–

''राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला''

4 शीर्षक **'आयु सीमा में छूट'** के प्रावधानों के नीचे अंकित नोट के बिन्दु संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित नोट भी पढ़ा जावे :–

''(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–प्प/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

*इस पद को आयोग द्वारा **वर्ष 2011** में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक **01-01-2016** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।''*

5 उपरोक्त संशोधनों के फलस्वरूप विज्ञापन संख्या 02/भर्ती/2015–16 दिनांक 15.05.2015 के तहत् ऑन लाईन आवेदन की **अंतिम दिनांक 25-06-2015 से बढ़ाकर अब दिनांक 27-07-2015 (रात्रि 12.00 बजे) तक की जाती है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।**

6 विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 02/भर्ती/2015–16

दिनांक : 15.05.2015

1. आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

अभियोजन विभाग के लिए सहायक लोक अभियोजक – द्वितीय श्रेणी के पदों की राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई – स्थाई होने की संभावना। (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

विशेष नोट :– इस विज्ञापन के तहत् राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
टीएसपी क्षेत्र हेतु कुल 19 पद	8	3	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0

1. **शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव** –
   1- Degree in law (Professional) from a University established by law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961.
   2- Two years experience at the bar.
2. **अनिवार्य योग्यता:–** Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.
3. **आयु :–** दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।
4. **रनिंग पे–बैण्ड :–** रूपये 9300–34800 ग्रेड–पे रू.4200/–

आयु सीमा में छूट

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
2	अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
4.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5.	सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।
6.	रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
7.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	The examination scheme for recruitment shall consist of an objective type examination and interview.
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। **सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबवाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	इन पदों की परीक्षा अजमेर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। **परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।**
आवेदन अवधि	**दिनांक 21–05–2015 से दिनांक 22–06–2015** रात्रि **12–00** बजे तक।

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Assistant Public Prosecutor Grade-II

A. Written Examination :

(i) The examination scheme for recruitment shall consist of an objective type examination and interview.
(ii) The standard of the paper-II (Language paper) will be that of Senior Secondary level.
(iii) Paper shall include the following subjects carrying the number of marks and time allowed, as shown againt them :-

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Law	150	3 Hours
II	Language-General Hindi and General English	50	2 Hours

B. Interview:

(i) The interview shall carry 25 marks, the Commission shall call for interview up to three times of vacancy (category wise), the candidates who have obtained a minimum of 35% marks in each paper and 40% marks in aggregate in the written examination.
(ii) It shall be compulsory for the candidate to obtain a minimum of 05 marks in interview to recommened him for appointment.

Syllabus for competitive examination

The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against them. Detailed syllabus of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

Paper	Subjects	Marks
Paper-I Law	**Part-A** Indian Penal Code 1860	50
	Part-B Criminal Procedure Code, 1973 and Indian Evidence Act, 1872	50
	Part-C 1- The Narcotic Drugs and Psychrotopic Substances Act, 1985; 2- The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989; 3- The Arms Act, 1959; 4- The Rajasthan Excise Act, 1950; 5- The Essential Commidities Act, 1955; 6- The Pre-conception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994; 7- The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012; 8- The Dowry Prohition Act, 1961; 9- The Rajasthan Public Examination (Preventon of Unfair means) Act, 1992; 10- The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986; 11- The Food Safety and Standards Act, 2006; and 12- The Rajasthan Bowine Animal (Prohibition Slaughter and Regulaiton of Temporary Migration or Export) Act, 1995.	50
Paper – II Language	Part – A General Hindi Part – B General English	25 25

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/संवीक्षा परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना ''आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं Guidelines for Edit Application का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.14** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांक :– संयुक्त विज्ञापन संख्या– 02/भर्ती/2015–16 /49 **दिनांक : 15.05.2015**

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत संयुक्त विज्ञापन संख्या– 02/भर्ती/2015–16 प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर के नवीनतम् संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

उपसचिव